



न्यायालय

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना-बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी -भंवर लाल आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-79 / 2023

दर्जतिथि:-08.08.2023

1. अगरी देवी पत्नी गिरधारीराम
2. दिनेश कुमार पुत्र गिरधारीराम
3. विक्रम कुमार पुत्र गिरधारीराम

वादी संख्या 2 व 3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया मात्रा अगरी देवी  
जाति भील निवासी भीलों की ढाणी कला लोहारवा तहसील धोरीमन्ना हाल निवासी  
नेहरू नगर बाड़मेर तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. करनाराम पुत्र शेराराम
2. केली पत्नी शेराराम
3. गुलाबी पत्नी जवाराराम
4. देराजराम पुत्र जवाराराम
5. नेमाराम पुत्र शेराराम
6. राजूराम पुत्र रामाराम
7. लेहरो पत्नी रामाराम
8. शंकरलाल पुत्र रामाराम
9. सेहनराम पुत्र रामाराम

जति भील निवासी भीलों की ढाणी कला लोहारवा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

10. प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी
11. तहसीलदार धोरीमन्ना

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:-श्री गंगाराम विशनोई

प्रतिवादीगण:-एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955



निर्णय:-

निर्णय तिथि:-07.04.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वादत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 95 रकबा 0.0486 है0, खसरा संख्या 96 रकबा 25.9484 है0, खसरा संख्या 97 रकबा 7.3895 है0 वाके ग्राम भीलों की ढाणी कला पटवार हल्का लोहारवा, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रैजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 से 6 बाद विधिवत तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा बिना साक्ष्य प्रस्तुत किये सीधे बहस के निवेदन पर वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में दिनांक 29.07.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रैजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक कोर्ट/भू.अ./2026/343 दिनांक 20.02.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार प्रेषित मौका कुर्रैजात रिपोर्ट तथा प्रकरण में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

*main*

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p><b>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</b> - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 16.02.2026 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में वादी व समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस क्रमांक भू. अ/2025/नोटिस/2115-2130 दिनांक 11.02.2026 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 16.02.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में उक्त कुर्रजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादी एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 95 रकबा 0.0486 है0, खसरा संख्या 96 रकबा 25.9484 है0, खसरा संख्या 97 रकबा 7.3895 है0 वाके ग्राम भीलों की ढाणी कला पटवार हल्का लोहारवा, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात् अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

**प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:-** प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

*min*

**द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

**तृतीय- अपूरणीय क्षति:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

### आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 95 रकबा 0.0486 है0, खसरा संख्या 96 रकबा 25.9484 है0, खसरा संख्या 97 रकबा 7.3895 है0 वाके ग्राम भीलों की ढाणी कला पटवार हल्का लोहारवा, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए वादी का अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	लगान	किस्म	बरग
1.	विक्रम पिता गिरधारी	1/3	96	3.2496	0.97	बा.सो.	नारंगी
	दिनेश पिता गिरधारी	1/3	97	0.9236	0.27	बा.सो.	
	अगरी पत्नी गिरधारी जाति भील सा.देह खातेदार	1/3	2	4.1732	1.24	बा.सो.	


*Signature*

2.	शंकराराम पिता रामा	1/7	95	0.0486	-	गै.मु.ढा.	आस मानी
	सोहन पिता रामाराम	1/7	96	22.6988	6.81	वा.दो.	
	राजूराम पिता रामाराम	1/7	97	6.4659	1.95	वा.सो.	
	लेहरो पत्नी रामाराम	1/7					
	करनाराम पिता शोरा	1/21	3	29.2133	8.76		
	नेमाराम पिता शोरा	1/21					
	केली पत्नी शोरा	1/21					
	गुलाबी पत्नी जवारा	1/7					
	देराज पुत्र जवारा	1/7					
	जाति भील सा.देह खातेदार						

उक्तानुसार वादी अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारीणी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(सिवर लाल आर.एस.)  
सहायक कलक्टर  
धोरीमन्ना-बालोतरा



सत्यमेव जयते  
न्यायालय

अगरी बनाम करनाराम  
GCMS NO 2023 / 204  
निर्णय दिनांक:-07.04.2026

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी  
धोरीमन्ना-बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी -भंवर लाल आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-79 / 2023

दर्जतिथि:-08.08.2023

1. अगरी देवी पत्नी गिरधारीराम
2. दिनेश कुमार पुत्र गिरधारीराम
3. विक्रम कुमार पुत्र गिरधारीराम

वादी संख्या 2 व 3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता अगरी देवी  
जाति भील निवासी भीलों की ढाणी कला लोहारवा तहसील धोरीमन्ना हाल निवासी  
नेहरू नगर बाड़मेर तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. करनाराम पुत्र शेराराम
2. केली पत्नी शेराराम
3. गुलाबी पत्नी जवाराराम
4. देराजराम पुत्र जवाराराम
5. नैमाराम पुत्र शेराराम
6. राजूराम पुत्र रामाराम
7. लेहरों पत्नी रामाराम
8. शंकरलाल पुत्र रामाराम
9. सेहनराम पुत्र रामाराम

जति भील निवासी भीलों की ढाणी कला लोहारवा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

10. प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी
11. तहसीलदार धोरीमन्ना

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता  
वादी:-श्री गंगाराम विश्णोई  
प्रतिवादीगण:-एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

*मा*

--:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वावत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 95 रकबा 0.0486 है0, खसरा संख्या 96 रकबा 25.9484 है0, खसरा संख्या 97 रकबा 7.3895 है0 वाके ग्राम भीलों की ढाणी कला पटवार हल्का लोहारवा, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए वादी का अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।


क्र. सं.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	लगान	किस्म	बरंग	
1.	विक्रम पिता गिरधारी	1/3	96	3.2496	0.97	बा.सो.	नारंगी	
	दिनेश पिता गिरधारी	1/3	97	0.9236	0.27	बा.सो.		
	अगरी पत्नी गिरधारी जाति भील सा.देह खातेदार	1/3	2	4.1732	1.24	बा.सो.		
2.	शंकराराम पिता रामा	1/7	95	0.0486	-	गै.मु.ढा.	आस मानी	
	सोहन पिता रामाराम	1/7		96	22.6988	6.81		बा.दो.
	राजूराम पिता रामाराम	1/7		97	6.4659	1.95		बा.सो.
	लेहरों पत्नी रामाराम	1/7	3	29.2133	8.76			
	करनाराम पिता शेरा	1/21						
	नेमाराम पिता शेरा	1/21						
	केली पत्नी शेरा	1/21						
	गुलाबी पत्नी जवारा	1/7						
	देराज पुत्र जवारा	1/7						
	जाति भील सा.देह खातेदार							

उक्तानुसार वादी अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारीणी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

नक्शा कुर्रजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(भवुर लाल आइएसएस)  
सहायक कलक्टर  
धोरीमन्ना-बालोतरा